कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं/नियुक्ति/नि–2/TGT/982/(35)/2017–18 दिनांकः 09/04/2019

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय),
प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल–प्रथम के पदो पर कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों से आगामी जिला रिशफल प्रक्रिया में भाग लेने संबंधी असहमति प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त शिक्षक भर्ती–2018 लेवल–प्रथम के पदों पर चयनित पात्र अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों में कार्यग्रहण किया गया है, उक्त भर्ती अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित, अपात्र एवं कार्यग्रहण नहीं करने वाले रिक्त रहे पदों पर चयन रिशफल/आरक्षित सूची जारी करने संबंधी कार्यवाही विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। चयन रिशफल/प्रतीक्षा सूची जारी करने के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट अनुसार जिलों का पुनः आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

आपसे उक्त भर्ती अन्तर्गत लेवल–प्रथम के पदों पर कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों की सूचनाऐं प्राप्त की थी, जिसके अनुसार कुल 18248 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण किया गया है, शाला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार कुल 17992 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण किया गया है। उक्तानुसार ऑफलाईन रूप से प्राप्त सूचना एवं शाला दर्पण पोर्टल की सूचना में भिन्नता है, अतः आप अपने जिले में कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों की सूचना का पुनः अवलोकन कर कार्यग्रहण कर चुके समस्त अभ्यर्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर 3 दिवस में अनिवार्य रूप अपडेट करें।

अतः आपके जिले के समस्त पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(पी.ई.ई.ओ.) ग्राम पंचायत मुख्यालय के संस्था प्रधानों तथा माध्यमिक शिक्षा के संस्था प्रधानों को पाबन्द करावें कि वे उनके अधीनस्थ विद्यालयों/स्वयं के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती–2018 अन्तर्गत लेवल–प्रथम के पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों से संलग्न प्रपत्र में इच्छुक अभ्यर्थियों से जो जिला रिशफल प्रक्रिया में भाग लेना नहीं चाहते हैं, उनसे असहमति का विकल्प लेकर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें:–

1. शिक्षक भर्ती–2018 लेवल–प्रथम अन्तर्गत कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थी जो जिला आगामी जिला रिशफल प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं केवल उनसे ही विकल्प प्राप्त कर इसका एक पृथक से रजिस्टर संधारित करते हुए विकल्प पत्र को अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखना है।
2. जो अभ्यर्थी आगामी रिशफल प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई विकल्प प्राप्त नहीं किया जाना है।
3. शाला दर्पण पोर्टल पर लॉग–इन कर निर्धारित मॉड्यूल में केवल अभ्यर्थियों द्वारा जिला रिशफल में भाग नहीं लेने बाबत दी गई असहमति को ही दर्ज करना है, शेष अभ्यर्थियों के संबंध में स्वतः ही यह मान लिया जायेगा कि वे जिला रिशफल की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं।
4. शाला दर्पण पोर्टल पर असहमति की सूचना प्रविष्ट कर अनिवार्य रूप से लॉक किया जाना है,
5. इच्छुक अभ्यर्थियों से असहमति का विकल्प प्राप्त कर दिनांक 15.04.2019 को सायं 6.00 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर सूचना अनिवार्य रूप से लॉक कर देवें। उक्त निर्धारित दिनांक के पश्चात शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं होगी तथा संबंधित अभ्यर्थी की उक्त निर्धारित दिनांक/समय तक पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं करने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधानों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समय पर सम्पादित करने एवं इसकी मोनेटरिंग हेतु आपके कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को नॉडल अधिकारी नियुक्ति करें तथा निर्धारित समय पर सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करवाने की समस्त जिम्मेवारी नॉडल अधिकारी की रहेगी।

www.rajteachers.com

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्रा.शि.)विभाग राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. उपायुक्त (शाला दर्पण पोर्टल), स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्रा.शि.)विभाग राजस्थान
बीकानेर